

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अप्रैल 2012—चैत्र 17, शक 1934

## भाग ४

### विषय-सूची

- |     |                        |                               |                                  |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2012

क्रमांक एफ 19-7/2010/12/1 खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 (1957 का सं.-67) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये,

राज्य सरकार, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 2 में,—

(क) खण्ड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—  
“(झ) “अनुज्ञापिधारी” से अभिप्रेत है, मुख्य खनिज का परिवहन करने, भण्डारण करने तथा व्यापार करने और गौण खनिज/खनिजों या इनके उत्पादों का परिवहन करने, भण्डारण करने, व्यापार करने तथा निर्माण कार्य में उपयोग करने के प्रयोजन के लिये इन नियमों के अधीन प्रदान की गई खनिज व्यापारी अनुज्ञापि का धारक;”;

(ख) खण्ड (ठ) में, शब्द “और/या किसी रासायनिक परिवर्तनों को सम्मिलित किये बिना, खनिज/खनिजों से तैयार किये जाने वाले अन्य उत्पाद” का लोप किया जाए।

(ग) खण्ड (ड) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—  
“(ड-1) “प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा” से अभिप्रेत है, कलक्टर कार्यालय में पदस्थ संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश का राजपत्रित अधिकारी तथा उसकी अनुपस्थिति में कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी;”;

(2) नियम 3 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(2) (एक) कोई भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के बिना, किसी मुख्य खनिज/खनिजों का, खान क्षेत्र के बाहर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु परिवहन, भण्डारण, व्यापार नहीं करेगी;

(दो) कोई भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी इन नियमों के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के बिना, गौण खनिज/खनिजों या इनके उत्पाद/उत्पादों का, खान क्षेत्र के बाहर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु परिवहन, भण्डारण, व्यापार तथा निर्माण कार्य में उपयोग नहीं करेगा;

(तीन) शासकीय निर्माण कार्य/रहवासी कालोनी, बहुमंजिला इमारत के विकास में, शासकीय ठेकेदार/बिल्डर द्वारा वैध खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना गौण खनिज/खनिजों या इनके उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाएगा;

(चार) रेत, मंगनीज तथा कोयला खनिज के लिये, इनकी खदानों से 50 किलोमीटर की परिधि में, खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की जाएगी;

(पांच) रेत खदान के लिये, नीलामी से प्राप्त खदानों के ठेकेदार या मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा उनकी खदान से उत्खनन के लिये अधिकृत व्यक्ति/फर्म/कम्पनी पर उनके खदान से 4 किलोमीटर की परिधि में, खदान अवधि में, खण्ड (चार) के उपबंध लागू नहीं होंगे;

(छह) स्वयं के उद्योग में मंगनीज/कोयला खनिज के उपयोग हेतु खण्ड (चार) के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे;

(सात) खण्ड (चार) के उपबंध शासकीय निर्माण/अन्य निर्माण में रेत के उपयोग पर लागू नहीं होंगे।”।

(3) नियम 4 में, उपनियम (4) के पश्चात, निम्न लिखित उप नियम अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(5) घरेलू निर्माण में भी गौण खनिज के उपयोग पर, लागू नहीं होगी।”।

- (4) नियम 5 में, उपनियम (3) में, खण्ड (छह) के पश्चात, अंत में निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—
- “(सात)शासकीय कार्य/ अन्य कार्य के लिये प्रदान की गई खनिज व्यापारिक अनुज्ञप्ति में, अनुज्ञप्ति स्थल से खनिज का परिवहन नहीं करेगा, तथा उन्हें अभिवहन पास अभिप्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (5) नियम 5 के पश्चात, निम्नलिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
- “5-क. वाहक का पंजीयन —
- (1) खनिजों के परिवहन हेतु वाहक पंजीयन आवेदन, प्ररूप-4-क में विभाग द्वारा यथा विहित कम्प्यूटर आधारित साफ्टवेयर पर, इन्टरनेट के माध्यम से आनलाइन किया जाएगा।
- (2) परिवहन विभाग का वैध पंजीयन आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। प्रत्येक वाहक के लिये, प्ररूप-4-क में पृथक से आवेदन अपेक्षित होगा।
- (3) वाहक का पंजीयन, प्ररूप-4-ख में जारी किया जाएगा।
- (4) संबंधित कार्यालय द्वारा वाहकों के पंजीयन का अभिलेख, प्ररूप-4-ग में आनलाइन रखा जाएगा।
- (5) पंजीकृत वाहक के मालिक, प्रत्येक फेरे की जानकारी प्ररूप-4-घ में रखेंगे तथा तिमाही की समाप्ति के पश्चात आगामी माह की 10 तारीख तक संबंधित कलक्टर कार्यालय को प्ररूप-4-ड में आनलाइन तिमाही विवरिणी प्रस्तुत करेंगे।
- (6) खान तथा खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति धारक उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार पंजीकृत वाहकों से ही खनिजों का परिवहन करेंगे या करवाएंगे।
- (6) नियम 6 में,—
- (क) उप नियम (2) में, शब्द “विधिमान्य अभिवहन पास” के पश्चात, शब्द “ और खनिज परिवहन हेतु वाहक का पंजीयन” अन्तःस्थापित किये जाएं;
- (ख) उप नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“ (3) उप नियम (1) के अधीन स्थापित प्रत्येक जांच चौकी पर या किसी भी स्थान पर, जब प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा या जांच चौकी के भारसाधक अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाए, वाहक का भारसाधक व्यक्ति अभिवहन में के खनिज या उसके उत्पाद का परीक्षण करने के लिए वाहक को रोकेगा तथा ऐसा व्यक्ति उसके कब्जे में के खनिज या उसके उत्पाद से संबंधित खनिज परिवहन हेतु वाहक का पंजीयन तथा समस्त अभिलेखों और दस्तवेजों का निरीक्षण करने देगा। वाहक का भारसाधक व्यक्ति, यदि प्राधिकृत व्यक्ति या जांच चौकी के भारसाधक अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाए, तो अपना नाम तथा पता, साथ ही वाहक के स्वामी का नाम तथा पता और भेजने वाले एवं पाने वाले दोनों का नाम तथा पता तथा ऐसे अन्य ब्योरे, जिनके लिए कहा जाए, प्रस्तुत करेगा। खनिज या उसके उत्पादों की जांच करने के पश्चात यदि प्राधिकृत व्यक्ति या जांच चौकी की भारसाधक अधिकारी का यह समाधान हो जाए कि खनिज या उसके उत्पादक का विधिमान्य अभिवहन पास तथा पंजीकृत वाहक के अधीन परिवहन किया जा रहा है तो यथास्थिति, प्राधिकृत व्यक्ति या जांच चौकी का भारसाधक अधिकारी अभिवहन पास पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

(7) नियम 7 में,—

(क) उप नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(1) खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उसका नवीकरण करने के लिये आवेदन, संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी को, प्ररूप-5 में किया जाएगा।”।

(ख) उप नियम (3) में, खण्ड (छ) के पश्चात, अंत में निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(ज) गौण खनिज के निम्नलिखित उपयोग के लिये निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे.

(एक) औद्योगिक उपयोग के लिए — उद्योग विभाग का वैध पंजीयन/उद्योग का स्थान /तैयार किये जाने वाले उत्पाद का विवरण।

(दो) शासकीय निर्माण कार्य में उपयोग के लिए – ठेकेदार का पंजीयन /निर्माण एजेन्सी का कार्यादेश/निर्माण की अवधि/उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक गौण खनिज की मात्रा का विवरण/निर्माण कार्य स्थान का विवरण।

(तीन) रहवासी कालोनी/बहुमंजिला इमारत के निर्माण के लिये – प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई कालोनाइजर की अनुज्ञप्ति/निर्माण स्थल का विवरण /कालोनी विकसित करने हेतु अनुज्ञा/उपयोग किये जाने वाले गौण खनिज की मात्रा का विवरण।

(8) नियम 17 में, उप नियम (1) में, खण्ड (दो) में, शब्द "मासिक" के स्थान पर, शब्द "तिमाही" स्थापित किया जाए।

(9) नियम 18 में,—

(क) उप नियम (1) में, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" तथा शब्द "पांच हजार" के स्थान पर, शब्द "पचास हजार" स्थापित किये जाएं;

(ख) उप नियम 5 में, शब्द "उप संचालक" के पश्चात, शब्द "अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)" तथा शब्द "बाजार मूल्य की दुगुनी" के स्थान पर, शब्द "बाजार मूल्य से दस गुने" तथा शब्द "स्वामित्व (रायल्टी) के दस गुना" के स्थान पर, शब्द "स्वामित्व (रायल्टी) के बीस गुना" स्थापित किये जाएं।

(10) नियम 19 में,—

(क) उप नियम (1) में, शब्द "अनुज्ञापन प्राधिकारी के किसी आदेश से, जो इन नियमों द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है" के स्थान पर, शब्द "इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश से" स्थापित किये जाएं,

(ख) उप नियम (2) में, शब्द "अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा" के स्थान पर, शब्द "इन नियमों के अधीन" स्थापित किये जाएं।

(11) प्ररूप-4 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किये जाएं, अर्थात्:—

प्ररूप-4-क  
(नियम 5-क (1) तथा (2) देखिये)

खनिज परिवहन हेतु वाहक के पंजीयन के लिये आवेदन

दिनांक.....माह.....वर्ष..... को स्थान.....में प्राप्त किया ।

प्रेषक

.....

प्रति,

श्री.....

.....

.....

- 1-आवेदक का नाम.....
- 2-आवेदक का पता.....
- 3-आवेदक फर्म/कंपनी/संस्था हो तो पंजीयन क्रमांक एवं स्थान.....
- 4-वाहक का प्रकार तथा भार क्षमता.....
- 5-वाहक संख्या.....
- 6-पंजीयन की प्रति.....
- 7-आवेदक की पहचान.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप-4-ख  
(नियम 5-क (3) देखिये)

खनिज परिवहन हेतु  
वाहक का पंजीयन

कलक्टर कार्यालय  
जिला .....(मध्यप्रदेश)

पंजीयन क्रमांक.....दिनांक.....स्थान.....

श्री.....स्थानीय पता.....के वाहक क्रमांक.....वाहक का प्रकार तथा भार क्षमता.....का खनिज के परिवहन हेतु एतद् द्वारा पंजीयन किया जाता है ।

प्राधिकृत अधिकारी के  
हस्ताक्षर  
पद नाम.....  
मुद्रा

प्ररूप-4-ग  
(नियम 5-क (4) देखिये)

खनिज परिवहन हेतु  
वाहक/वाहकों का पंजीयन के अभिलेख हेतु रजिस्टर

- 1-अनुक्रमांक.....
- 2-आवेदक का नाम तथा पता.....
- 3-आवेदन प्रस्तुत करने का दिनांक.....
- 4-पंजीयन हेतु वाहक का प्रकार तथा भार क्षमता.....
- 5-परिवहन विभाग द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक.....
- 6-पंजीयन क्रमांक तथा अधिकारी द्वारा जारी करने का दिनांक.....
- 7- प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर.....

प्ररूप-4-घ  
(नियम 5-क (5) देखिये)

खनिज परिवहन हेतु  
वाहक/वाहकों के स्वामियों द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

पंजीयन क्रमांक.....

- 1-अनुक्रमांक.....
- 2-दिनांक.....
- 3-वाहक क्रमांक.....
- 4-परिवहित खनिज का नाम.....
- 5-परिवहित खनिज की मात्रा.....
- 6-खनिज कहां से प्राप्त किया.....
- क-खदान/व्यापारिक अनुज्ञप्ति का स्थान.....
- ख-खदान/व्यापारिक अनुज्ञप्ति धारक का नाम तथा पता.....
- 7-खनिज के परिवहन का स्थान.....
- 8-खनिज के परिवहन का प्राकलित समय.....
- 9-खनिज के परिवहन में उपयोग किया गया अभिवहन पारपत्र क्रमांक.....
- 10-खनिज के प्रेषण का स्थान.....
- 11-उस व्यक्ति का नाम तथा पता जिससे खनिज प्राप्त किया गया है .....
- 12-प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

प्ररूप-4-ड  
(नियम 5-क (5) देखिये)

वाहक/वाहकों के स्वामियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाली तिमाही विवरिणी  
( तिमाही की समाप्ति पश्चात आगामी माह के 10 तारीख तक प्रस्तुत  
किया जाएगा)

माह.....वर्ष.....

प्रति,

कलक्टर,  
जिला.....(मध्यप्रदेश)

पंजीयन क्रमांक.....

अनुक्रमांक	दिनांक	वाहक क्रमांक	खनिज का नाम	खनिज की मात्रा	से खनिज प्राप्ति		खदान/खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति धारक का नाम तथा पता	खनिज प्रेषण का स्थान तथा पता	अभिवहन पास क्रमांक
					खदान का नाम	व्यापारिक अनुज्ञप्ति का नाम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

नाम.....

पता.....

दिनांक..... "

(12) प्ररूप-5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाये, अर्थात्:-

प्ररूप-5  
[नियम 7(1) देखिए]

अनुज्ञप्ति प्रदान करने या नवीकरण करने के लिए आवेदन-पत्र

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

तारीख-----माह-----वर्ष-----को----- (स्थान)  
में प्राप्त किया----- यहाँ न्यायालय फीस स्टाम्प  
----- चिपकाएं

प्रेषक

प्रति,

मध्यप्रदेश शासन,  
-----

द्वारा

कलक्टर  
जिला----- मध्यप्रदेश

महोदय,

1. मैं/हम----- वर्षों की अवधि हेतु, खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकरण करने के लिए निवेदन करता हूँ/करते हैं।
2. इन नियमों के अधीन देय आवेदन फीस के रूप में रूपये ----- की राशि चालान क्रमांक -----तारीख-----स्थान में जमा कर दी गई है।
3. अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गई हैं-  
(एक) आवेदक का नाम पूर्ण पते के साथ -----  
(दो) आवेदक की जाति (यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है तो जाति प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)।  
(तीन) क्या आवेदक व्यक्ति/निजी कंपनी/सार्वजनिक कंपनी/फर्म या संस्था है ?.....  
(चार) आवेदक की उपजीविका या व्यवसाय की प्रकृति-----  
(पाँच) कोई खनिज बकाया नहीं प्रमाणपत्र ----- (प्रति संलग्न करें)

- (छह) यदि आवेदक, आवेदन करने की तारीख को राज्य में कोई खनिज रियायत/अनुज्ञप्ति धारण नहीं करता है तो उसके लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करें-----
- (सात) खनिज/खनिजों या उसके/उनके उत्पाद जिसके/जिनके लिए आवेदक का अनुज्ञप्ति धारण करने का आशय है-----
- (आठ) यह शपथ पत्र कि आयकर अधिनियम, 1961 में यथा विहित तिथि को आयकर विवरणी फाईल की गई है और शोध कर, जिसमें स्व-निर्धारण के मद्दे कर सम्मिलित है, का भुगतान कर दिया गया है-----
- (नौ) विक्रयकर प्रमाण पत्र, जहां कहीं लागू हो तथा शपथ पत्र कि कोई देय विक्रयकर बकाया नहीं है-----
- (दस) उस खनि रियायत अनुज्ञप्ति के विवरण दर्शाते हुए शपथ पत्र कि वह किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा आवेदक के साथ संयुक्त रूप से राज्य में धारित है या धारित की जा रही है-----

4.

- (1) व्यापार हेतु-
- (एक) उस भूमि के ब्यौरे, जिस पर आवेदक, खनिज/खनिजों या उसके उत्पादों का भण्डारण या व्यापार करने का इच्छुक है। जहां भूमि आवेदक के स्वामित्व की न हो, इस आशय का एक शपथ पत्र कि उसने सतही अधिकार या स्वामी की सहमति प्राप्त कर ली है,-----
- (दो) उस भूमि का प्रमाणित नक्शा तथा नवीनतम राजस्व अभिलेख संलग्न करें, जिसका उपयोग खनिज/खनिजों या उसके/उनके उत्पादों के भण्डारण के लिए किया जाना आशयित है। (दो प्रतियाँ)
- (तीन) कोई अन्य विवरण, जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहता है -----
- (2) उद्योग में उपयोग हेतु-
- (एक) उद्योग का वैध पंजीयन-----
- (दो) उद्योग की स्थिति-----
- (तीन) उपयोग किये जाने वाले खनिज/खनिजों का नाम-----
- (चार) प्रतिवर्ष उपयोग किये जाने वाले खनिजों की मात्रा-----
- (पाँच) कोई अन्य विवरण -----
- (3) शासकीय निर्माण कार्य में उपयोग हेतु-
- (एक) ठेकेदार का वैध पंजीयन -----
- (दो) शासकीय विभाग का नाम जिसने ठेका प्रदत्त किया है-----
- (तीन) कार्य आदेश की प्रति-----
- (चार) निर्माण की कालावधि-----
- (पाँच) उपयोग किये जाने वाले गौण खनिज/खनिजों के नाम-----

- (छह) उपयोग किये जाने वाले गौण खनिज/खनिजों की मात्रा (घनमीटर में)-----  
 (क) रेत  
 (ख) पत्थर  
 (ग) मुरुम  
 (घ) गिट्टी  
 (ङ) अन्य  
 (सात) निर्माण का स्थान-----  
 (आठ) कोई अन्य विवरण-----
- (4) रहवासी कालोनी/बहुमंजिला प्रकोष्ठ में उपयोग हेतु-  
 (एक) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त कालोनाइजर/बिल्डर अनुज्ञप्ति की प्रति-----  
 (दो) निर्माण के स्थल का विवरण-----  
 (तीन) निर्माण के लिये सक्षम अधिकारी की अनुमति-----  
 (चार) भवन/प्रकोष्ठ की संख्या-----  
 (पाँच) उपयोग किये जाने वाले गौण खनिज का नाम-----  
 (छह) उपयोग किये जाने वाले गौण खनिज की अनुमानित मात्रा (घनमीटर में)  
 (क) रेत  
 (ख) पत्थर  
 (ग) मुरुम  
 (घ) गिट्टी  
 (ङ) अन्य  
 (सात) कोई अन्य विवरण-----

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम :

पता : ..

- (13) प्ररूप-7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात्:-  
 "प्ररूप-7

[नियम 11(1) देखिए]

खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र का रजिस्टर

1. अनुक्रमांक -----
2. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की तारीख-----
3. आवेदन प्राप्त करने की तारीख-----
4. आवेदक का नाम तथा पूर्ण पता-----
5. खनिज/उत्पाद का नाम जिसके लिये आवेदन किया गया है-----
6. वह कालावधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकरण के लिए आवेदन किया गया है -----
7. आवेदन फीस का भुगतान चालान क्रमांक-----तारीख ----- द्वारा किया गया।
8. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का प्रयोजन-----
9. आवेदन का अंतिम निपटारा आदेश क्रमांक एवं तारीख सहित -----
10. प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर-----".

(14) प्ररूप-9, 10, 11 तथा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप क्रमशः स्थापित किये जाएं, अर्थात्:-

"प्ररूप-9  
( नियम 13 देखिए)

मध्यप्रदेश शासन  
कलक्टर, कार्यालय  
जिला .....(मध्यप्रदेश)  
खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति

क्रमांक .....

तारीख .....

श्री ----- (निवासी) ----- को  
निम्नलिखित खनिज/खनिजों/उत्पादों का स्टॉक करने हेतु निम्नलिखित प्रयोजन के  
लिये तारीख ----- से ----- तक अवधि -----  
के लिये मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम,  
2006 के अधीन खनिज व्यापारिक अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

खनिज (खनिजों)/उत्पाद -----

1. व्यापार हेतु स्टॉक यार्ड की स्थिति
2. उद्योग में उपयोग हेतु  
उद्योग का स्थान :-
3. शासकीय निर्माण हेतु  
निर्माण स्थल :-
4. रहवासी कालोनी/बहुमंजिला प्रकोष्ठ में उपयोग हेतु :-  
निर्माण स्थल :-

अनुज्ञापन अधिकारी  
नाम  
पदनाम  
कार्यालय की मुद्रा

प्ररूप-10  
( नियम 15 देखिए)

खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति का रजिस्टर

1. अनुक्रमांक .....
2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम .....
3. पूरा पता .....
4. खनिज (खनिजों)/ उत्पादों का नाम .....
5. स्टाकयार्ड की स्थिति/उद्योग का स्थान/शासकीय  
निर्माण स्थल/रहवासी कालोनी / बहुमंजिला  
प्रकोष्ठ का स्थल .....
6. अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीकरण का क्रमांक तथा तारीख .....
7. अनुज्ञप्ति की कालावधि .....
8. अभ्युक्तियां .....
9. प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर .....

## प्ररूप-11

## [नियम 17(1) (एक) देखिए]

खनिज व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संधारित किया जाने वाला रजिस्टर

1. अनुज्ञप्ति धारक का नाम एवं पता.....
2. स्टाकयार्ड की स्थिति/उद्योग का स्थान/शासकीय निर्माण का स्थान/रहवासी कालोनी या बहुमंजिला प्रकोष्ठ का स्थान.....
3. खनिज (खनिजों)/उत्पाद का नाम
  - (एक)
  - (दो)
  - (तीन)
  - (चार)
  - (क) अनुक्रमांक.....
  - (ख) तारीख.....
  - (ग) खनिज का नाम प्रारंभिक शेष  
(टन/घनमीटर में)
    - 1.
    - 2.
    - 3.
  - (घ) खनिज का नाम प्राप्त किये गये खनिज की मात्रा  
(टन/घनमीटर में)
    - 1.
    - 2.
    - 3.
  - (ङ) पक्षकार का नाम जिससे खनिज प्राप्त किया गया खनिज का नाम व मात्रा  
(टन/घनमीटर में)
  - (च) स्टाकयार्ड तक खनिज(खनिजों)/उत्पाद के परिवहन में उपयोग किए गए अभिवहन पास बुक अनुक्रमांक ..... दिनांक .....
  - (छ) खनिज का नाम कुल स्टाक  
(टन/घनमीटर में)
    - 1.
    - 2.
    - 3.
  - (ज) स्टाक यार्ड से प्रेषित शासकीय निर्माण में उपयोग किए गए/रहवासी कालोनी/बहुमंजिला प्रकोष्ठ निर्माण में उपयोग किए गए खनिज की मात्रा
 

खनिज का नाम	खनिज की मात्रा (टन/घनमीटर में)
1.	
2.	
3.	
  - (झ) पक्षकार का नाम जिसे खनिज विक्रय किया गया था.....
  - (ञ) स्टाकयार्ड से खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग की गई अभिवहन पासबुक का पुस्तक क्रमांक .....अनुक्रमांक.....तारीख.....
  - (ट) अंतिम स्टाक.....(टन/घनमीटर में)
  - (ठ) अभ्युक्तियां.....

प्ररूप-12

[नियम 17(1) (दो) देखिए]

खनिज व्यापारी अनुज्ञप्तिधारी हेतु तिमाही विवरणी का प्ररूप

तिमाही के लिये विवरणी .....

(तिमाही की समाप्ति के पश्चात आगामी मास के 10वें दिन तक प्रस्तुत करें)

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम.....
2. अनुज्ञप्तिधारी का पता.....
3. अनुज्ञप्ति क्रमांक.....
4. अनुज्ञप्ति की कालावधि.....से.....तक
5. स्टाकयार्ड/शासकीय निर्माण/रहवासी कालोनी/बहुमंजिला प्रकोष्ठ की अवस्थिति
6. उस खनिज (खनिजों)/उत्पादों का नाम जिसके लिये अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है

(क) खनिज का नाम

- 1.
- 2.
- 3.

(ख) प्रारंभिक स्टाक

खनिज का नाम

मात्रा (टन/घनमीटर)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

(ग) प्राप्त खनिज की मात्रा

खनिज का नाम

मात्रा

(टन/घनमीटर)

पक्षकार का नाम/पता

जिसके द्वारा प्राप्त किया गया

- 1.
- 2.
- 3.

(घ) उपयोग किये गये/प्रेषित खनिज

खनिज का नाम

मात्रा (टन/घनमीटर)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

(ङ) अन्तिम स्टाक (त्रैमास के अन्त में)

खनिज का नाम

मात्रा (टन/घनमीटर)

- 1.
- 2.
- 3.

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर..

दिनांक .....

स्थान .....

No. F 19-7/10/12/1, In exercise of the powers conferred by section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2006, namely:-

### AMENDMENTS

In the said rules,-

- (1) In rule 2,-
  - (a) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-
    - "(i) "Licensee" means holder of mineral dealer licence granted under these rules for the purpose of transporting, storing and trading of major mineral and for the purpose of transporting, storing, trading and for use in construction work of minor mineral/minerals or its products;"
  - (b) In clause (l), the words "and/or any product to be prepared from mineral/minerals without involving any chemical changes." shall be omitted.
  - (c) after clause (m), the following clause shall be inserted, namely:-
    - "(m-1) "Officer in charge of Mining Section" means the Gazetted Office of Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh posted at Collector's office and in his absence any such officer nominated by the Collector;"
- (2) In rule 3, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted,

namely:-

"(2) (i) no person/firm/company shall transport, store, trade of major mineral/minerals for commercial purpose, outside of mine area without licence granted under these rules;

(ii) no person/firm/company shall transport, store, trade and use in construction work of minor mineral/minerals or its products for commercial purpose, outside of mine area without licence granted under these rules;

(iii) minor mineral/minerals or its products shall not be used without having valid mineral dealer licence by government contractor/ builder, in government construction work/ development of residential colony, multi apartment;

(iv) no mineral dealer license shall be granted for sand, manganese and coal in periphery of fifty kilometers of these mines;

(v) provisions of clause (iv) shall not be applicable on the contractor who obtained sand quarry by auction or persons/firm/company authorized for extraction by Madhya Pradesh State Mining Corporation from their mines, in the periphery of four kilometers in their quarry period;

(vi) provisions of clause (iv) shall not be applicable on use of manganese/coal in own industry;

(vii) provisions of clause (iv) shall not be applicable on use of sand in government work/other work."

(3) In rule 4, after sub- rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(5) use of minor mineral in domestic construction also."

(4) In rule 5, in sub-rule (3), after clause (vi) the following clause shall be added at the end, namely:-

"(vii) mineral dealer licence granted for Government work/other work shall not transport, mineral from place of licence and they are not required to obtain transit pass."

(5) After rule 5, the following new rule shall be inserted, namely:-

**"5-A Registration of Carrier -**

- (1) Application for registration of carrier for transportation of minerals shall be made on line in computer based software as prescribed by department through internet in Form-4-A.
- (2) Valid registration of Transport Department shall be uploaded along with application. Separate application in Form-4-A shall be required for each carrier.
- (3) Registration of Carrier shall be issued in Form-4-B.
- (4) Record of registration of Carrier shall be kept by concerned office on line in Form-4-C.
- (5) Owner of registered Carrier shall keep record of each trip in Form-4-D and shall furnish quarterly return in Form-4-E on line to concerned Collector's office upto 10<sup>th</sup> day of ensuing month after end of quarter.
- (6) Holder of mine and mineral dealer licence shall transport or cause to be transported mineral by Carrier registered by above procedure. "

## (6) In rule 6,-

- (a) in sub-rule (2), after the word "valid transit pass" the word "and registration of carrier for transport of mineral" shall be inserted;
- (b) for sub rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(3) At every check post set up under sub-rule (1) or at any place when so required by the authorised person or the Officer Incharge of the check post, the person in charge of the carrier shall stop the carrier for examination of the mineral or its product in transit registration of vehicle for mineral transportation and allow inspection of all records and documents relating to mineral or its product in possession of such person. The person in charge of the carrier shall, if so required by the authorised person or the Officer Incharge of the check post, furnish his/her name and address as also that of the owner of the carrier and the name and address of both the consignor and the consignee and the other

particulars asked for. After checking the mineral or its products, if the authorised person or the Officer Incharge of the check post is satisfied that the mineral or its product is being transported under a valid Transit Pass and registered vehicle, the authorised person or the Officer Incharge of the check post, as the case may be, put his/ her signature on the Transit Pass;

- (c) in sub-rule (3), after the words "valid transit pass" the words "and registered vehicle" shall be inserted;

(7) In rule 7,-

- (a) for sub-rule (1), following sub rule shall be substituted, namely:-

"(1) An application for the grant or renewal of mineral dealer licence shall be made to licensing authority of the concerned district in Form-5."

- (b) in sub-rule (3) after clause (g), the following clause shall be added at the end, namely:-

"(h) mineral dealer licence for following use of minor mineral, the following document shall be furnished-

- (i) for industrial use - valid registration of Industry Department/details of place of industry/product to be prepared.
- (ii) for use in Government construction- registration of contractor/work order of construction agency/tenure of construction/details of quantity of each minor minerals to be used/details of place of construction.
- (iii) for construction of residential colony/multi apartment-licence of colonizer given by authorized officer/details of place of construction/permission for development of colony/details of quantity of each minor minerals to be used.

- (8) In rule 17, in sub-rule (1), in clause (ii), for the word "monthly" the word "quarterly" shall be substituted.
- (9) In rule 18,-
- (a) in sub-rule (1), for the words "one year" the word "two years" and for the words "Five thousand" the words "Fifty Thousand" shall be substituted.
- (b) in sub-rule (5), after the words "Deputy Director" the words "Sub Divisional officer (Revenue)" and for the words "double the market value" the words "ten times of the market value" and for the words "ten times of royalty" the words "twenty times of royalty" shall be substituted.
- (10) In rule 19,-
- (a) in sub-rule (1), at the place of words "by an order of the Licensing Authority in exercise of the powers conferred on it by these rules" the words "by order passed under these rules" shall be substituted.
- (b) in sub-rule (2), for the words "by Licensing Authority" the words "under these rules" shall be substituted.

(11) After Form-4, the following Forms shall be inserted, namely:-

**Form-4-A**

(see rule 5-A(1) and (2))

**Application for registration of Carrier for transportation of minerals**

Received at ..... (place) on the ..... day of ..... month ..... year

From

.....  
.....

To,

Sir .....

.....  
.....

1. Name of applicant .....
2. Address of applicant .....
3. If applicant is firm/company/association then number and place of registration.....
4. Type of Carrier and load capacity  
.....
5. Number of Carrier  
.....
6. Copy of registration .....
7. Identity of applicant .....

**Signature of Applicant,**

**Form-4-B**

(see rule 5-A(3))

**Registration of Carrier for mineral transportation****Office of the Collector**

District .....(Madhya Pradesh)

Registration number ..... date ..... place .....  
 Carrier number ..... Carrier type .....  
 and load capacity ..... of shri .....  
 address ..... hereby registered for transportation of mineral.

**Signature of Authorised Officer****Designation****Seal****Form-4-C**

(see rule 5-A(4))

**Register for record of registration of Carrier (s) for transportation of mineral**

1. S.No. ....
2. Name of applicant and Address .....
3. Date of submission of application .....
4. Type of carrier and load capacity for registration .....
5. Registration number issued by transport department .....
6. Registration number and date issued by officer .....
7. Signature of authorised Officer .....

**Form-4-D****(see rule 5-A(5))****Register to be maintained by owner of Carrier/Carriers for transportation of  
minerals**

- Registration number.....
1. Serial number. ....
  2. Date .....
  3. Number of Carrier .....
  4. Name of transported minerals .....
  5. Quantity of transported minerals .....
  6. Mineral received from
    - (a) Place of mine/dealer licence .....
    - (b) Name & address of holder of mine/dealer licence .....
  7. Place of mineral transportation .....
  8. Estimated time of mineral transportation .....
  9. Serial number of transit permit used in transportation of mineral .....
  10. Place of dispatch of mineral .....
  11. Name of person and address by whom mineral is received .....
  12. Signature of authorized person .....

**Form-4-E**

(see rule 5-A(5))

**Quarterly return to be submitted by owners of Carrier/Carriers**  
**(To be furnished upto 10<sup>th</sup> day of ensuing month after the end of quarter)**

**Month ..... Year .....2012**

To,

Collector,

District ..... (Madhya Pradesh)

Registration Number .....

S. No.	Date	Carrier No.	Name of Mineral	Quantity of Mineral	Mineral received from		Name and Address of holder of mine/mineral dealer licence	Place and Address of mineral dispatch	S.No. of Transit Pass
					Name of mine	Name of mineral dealer licence			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

Signature of authorized person .....

Name .....

Address .....

Date .....

(12) For Form-5 , the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM-5

(See Rule 7 (1))

APPLICATION FOR GRANT OR RENEWAL OF LICENCE

(TO BE SUBMITTED IN DUPLICATE)

Received at.....(place) on the.....day of.....month... .. year

Here affix court fees stamp

From .....

.....

.....

To,

THE GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

Through : THE COLLECTOR

DISRTICT....., MADHYA PRADESH.

Sir,

1. I/We request for the grant/renewal of Mineral Dealer licence for a term of.....years
2. A sum of Rs.....as application fee payable under these rules has been deposited vide challan No.....dated.....at place.....
3. The required particulars are given below :
  - (i) Name of the applicant with complete address.....

- (ii) Caste of the applicant (if applicant is the member of Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Classes, then enclose certified copy of caste certificate)
  - (iii) Is the applicant is an Individual/Private company/Public company/Firm or Association.
  - (iv) Profession or nature of business of applicant.....
  - (v) No Mining Dues Certificate (copy attached).....
  - (vi) If on the date of application, the applicant does not hold any mineral concession/licence in the state furnish an affidavit for the same.....
  - (vii) Mineral/minerals or its products, for which the applicant intend to hold licence.....
  - (viii) An affidavit that upto date income tax return, as prescribed in Income Tax Act, 1961, has been filed and the tax due, including the tax on account of self assessment, has been paid.....
  - (ix) Sales tax certificate, wherever applicable and an affidavit that no sales tax due is outstanding.....
  - (x) An affidavit showing details of mineral concession licence held or being held in the State by any other person/persons jointly with the applicant.....
4. (1) For trading-
- (i) Details of the land on which applicant desires to store or trade the mineral/minerals or its products. Where the land is not owned by the applicant, an affidavit to the effect that he/she has obtained the surface right or the consent of the owner.

- (ii) Enclose the certified map and latest revenue record of the land intended to be used for storing mineral/minerals or its products (two copies)
- (iii) Any other details that applicant desires to submit .....
- (2) For use in Industry-
- (i) Valid registration of industry .....
- (ii) Situation of industry .....
- (iii) Name of mineral/minerals to be used .....
- (iv) Quantity of minerals to be used annually .....
- (v) Any other details .....
- (3) For use in Government construction-
- (i) Valid registration of Contractor.....
- (ii) Name of the Government department who has given contract .....
- (iii) Copy of work order .....
- (iv) Tenure of construction .....
- (v) Name of minor mineral(s) to be used .....
- (vi) Quantity of minor minerals to be used (in cubic meter)
- a. Sand
- b. Stone
- c. Murrum
- d. Gitti
- e. Others
- (vii) Place of construction .....
- (viii) Any other details .....

4. For use in residential colony/multi apartment-
- (i) Copy of license of Colonizer/builder given by authorized officer ...
  - (ii) Details of place of construction .....
  - (iii) Permission of competent authority for construction .....
  - (ii) Numbers of building/apartment.....
  - (iii) Name of minor minerals to be used .....
  - (iv) Estimated quantity of minor mineral to be used (in cubic meter)
    - a. Sand
    - b. Stone
    - c. Murrum
    - d. Gitti
    - e. Other
  - (vii) Any other details .....

Signature of the Applicant

Name

Address .".

- (13) For Form-7, following Form shall be substituted, namely:-

"FORM-7

(See Rule 11(1))

**Register of Application for Mineral Dealer Licence**

1. Serial No. ....
2. Date of application of Licence. ....
3. Date of receipt of application. ....
4. Name of the applicant with full address. ....
5. Name of the mineral/product applied for. ....
6. Period for which grant/renewal of licence is applied. ....
7. Application fee paid vide challan no.....date.....
8. Purpose of obtaining Licence
9. Final disposal of the application together with number and date of the order
10. Signature of the authorised Officer. "

(14) For forms -9, 10, 11 and 12 ,the following Forms shall respectively be substituted, namely:-

**"FORM-9**

(See Rule 13)

**MINERAL DEALER LICENCE  
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH  
OFFICE OF THE COLLECTOR**

**DISTRICT.....(M.P.)**

No.....

Date.....

Mineral Dealer licence is hereby granted under the Madhya Pradesh Mineral (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2006 in favour of Shri .....resident of .....for stocking the following Mineral (s) /Products for following purposes for the period commencing from .....to.....

**Mineral(s) / Products -----**

1. For trading - location of stock yard
2. For use in industry – place of industry
3. For government construction – place of construction
4. For use in residential colony/multi apartment – place of construction

Licensing Authority  
Name  
Designation.  
Seal of Office

**FORM-10**

(See Rule 15)

**Register of Mineral Dealer Licence**

1. Serial Number.
2. Name of the Licensee
3. Full Address
4. Name of Mineral(s) / Products
5. Location of stockyard/place of industry/place of govt. construction/place of residential colony/multi apartment.
6. Number and date of Grant/Renewal of Licence.
7. Period of Licence.
8. Remarks.
9. Signature of the authorised Officer.

**FORM-11****(See Rule 17(1)(i))****Stock Register to be maintained by Mineral Dealer Licensee**

1. Name and address of holder of licence.
2. Location of stockyard/place of industry/place of government construction/place of residential colony/multi apartment.
3. Name of Mineral(s) / Product
  - (i)
  - (ii)
  - (iii)
  - (iv)
  - (a) Serial Number.
  - (b) Date
  - (c) Name of mineral Opening balance  
(in tonnes/cubic meter)
    - 1.
    - 2.
    - 3.
  - (d) Name of minerals Quantity of mineral received  
(in tonnes/cubic meter)
    - 1.
    - 2.
    - 3.
  - (e) Name of the party from which the mineral is obtained Name of the mineral & quantity  
(in tonnes/cubic meter)
  - (f) Transit passbooks used to transport the mineral(s) / products to stockyard- Book No., Serial No., Date.
  - (g) Name of minerals Total stock (in tonnes/cubic meter)
    - 1.
    - 2.
    - 3.

- (h) Quantity of Mineral dispatched from stockyard/used in government construction/used in construction of residential colony/multi apartment.

Name of mineral	Quantity of mineral (in tones/cubic merer)
1.	
2.	
3.	

- (i) Name of party to whom mineral was sold.
- (j) Transit Pass Books used to transport the minerals from the Stockyard-  
Enter Book No..., Serial No..., Date.....
- (k) Closing stock.....( in tonnes/cubic meter).
- (l) Remarks.

### FORM-12

(See Rule 17(1)(ii))

#### Form of Quarterly Return for Mineral Dealer Licensee

Return for the quarter.....

(To be furnished upto 10 th day of ensuing month after the end of quarter)

1. Name of the Licensee.....
2. Address of Licensee.....
3. No. of Licence.....
4. Period of Licence from.....to.....
5. Location of stockyard/government construction/residential colony/multi apartment

6. Name of mineral(s)/products for which licence is granted.....

-----

(a) Name of mineral

1.

2.

3.

(b) Opening stock

Name of mineral

Quantity (in tonnes/cubic meter)

1.

2.

3.

4.

(c) Quantity of mineral received

Name of mineral

Quantity

Name & Address of party

(tonnes/ cubic meter) by whom received

1.

2.

3.

(d) Used/Mineral dispatched

Name of Mineral

Quantity (in tonnes/cubic meter)

1.

2.

3.

(e) Balance of stock at the end of the month

Name of Mineral

Quantity (in. tonnes/cubic meter)

1.

2.

3.

Date .....

Place: .....

Signature of Licensee."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण कुमार तोमर, उपसचिव.